प्रदूषण रोकिए । पर्यावरण बचाइए ॥

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref-100/ज० प्र० नं०(सुरहा ताल)बलिया/2024-25 दिनांक/Date 02/05/2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: Regarding submission of Action Taken Report on the behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 651 of 2023 In the matter of Krishna Nand Yadav Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 11.01.2024 in Original Application No. 651 of 2023 in the matter of Krishna Nand Yadav Versus State of Uttar Pradesh, The Acton Taken Report on the behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosure: As above

AK Suman

(Ajeet Kumar Suman)
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ – 276128, www.uppcb.com. E-mail-roazamgarh@uppcb.in Ph. No.- 05462-247517
मुख्यालय : टी.सी. 12वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 # दूरभाषा 2720828,2720681,2720691,2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.in # वेबसाइट : www.uppcb.in

(1)

BEFORE
THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 651 / 2023

Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 651 of 2023 In the matter of Krishna Nand Yadav Versus State of Uttar Pradesh

The Hon'ble N.G.T., Principal Bench, New Delhi vide its order dated 11.01.2024 in Original Application No. 651 of 2023 in the matter of Krishna Nand Yadav Versus State of Uttar Pradesh has disposed the application with directions. The relevant excerpt of the order is as below:-

"........ 2. The issue raised in the letter petition relates to compliance of the environmental norms. Hence, considering the nature of the allegation we dispose of the present original application requiring the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to duly consider the grievance raised in the original application, carryout the spot inspection, ascertain the correct position and nature of violation by the brick kilns in question and take appropriate action in accordance with law, as expeditiously as possible preferably, within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order......

(2)

.......4. The action taken report will be submitted by the Member Secretary, UPPCB on or before 30.04.2024 before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter will be listed for consideration before the Tribunal. ...."

Key Issue-

That there are five brick kilns operating within the radius of one kilometer at Gram Sabha Barsari at Sahodih and these brick kilns are causing pollution and affecting the residents in the area of five kilometer and said pollution is leading to various ailments.

Action Taken Report

1. That the Ministry of Environment, Forest And Climate Change, New Delhi vide Notification dated 08.03.2019 has notified an area to an extent of one kilometre uniform around the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary, in Ballia district of Uttar Pradesh as Eco-sensitive Zone (hereafter in this report referred to as the Eco-sensitive Zone). According to said notification at page number 22, it is mentioned that "the setting up of brick kilns are prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws". The copy of the Eco-sensitive Zone

Notification Dated 08.03.2019 is being attached herewith as **Annexure No.-1** to this report.

2. That in compliance of Hon'ble Tribunal order dated 11.01.2024, the officials of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh has inspected the area of Eco-sensitive Zone on 04.03.2024. A copy of the inspection report dated 06.03.2024 is being attached herewith as **Annexure No.-2** to this report.

3. That in pursuance to the above Inspection Report dated 06.03.2024, the details of brick kilns which were found in the Eco-sensitive Zone are tabulated below:

S.No.	Name and Address Brick Kiln	Status of Consent to Operate Under Air/Water Act before the Eco-sensitive Zone Notification Dated 08.03.2019	Current Status of Consent to Operate Under Air/Water Act
1.	M/s SK Ent Udyog,Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2025
2.	M/s SP and Sons Ent Bhatta, Barsari, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2025
3.	M/s GM Gramoudhyog, Jajiyapur, Meritand, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2028
4.	M/s Sarvajeet Ent Bhatta, Barsari, Beruarbari, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2025
5.	M/s Vishal Ent Udyog, Sidhauli, Kaithauli, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2026
6.	M/s US Enterprises, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Not Granted
7.	M/s Ghanshyam Singh Ent Bhatta, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Not Granted
8.	M/s Kashinath Yadav Ent Bhatta, Bakhauta, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Not Granted	Not Granted

4. That earlier Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 15.07.2021 had issued closure order

against the brick kiln M/s Ghanshyam Singh Ent Bhatta, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia under the section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and subsequently the compliance of the said closure order dated 15.07.2021 for the same was done on 01.04.2024 by the Joint Committee comprising officials of District Administration, Ballia, Mine Department, Ballia and Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh. The copy of the closure order dated 15.07.2021 and compliance report dated 01.04.2024 are being collectively attached herewith as **Annexure No-3** to this report.

5. That further Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 25.04.2024 has issued closure orders against the brick kilns M/s US Enterprises, Barsari, Bansdeeh, Ballia and M/s Kashinath Yadav Ent Bhatta, Bakhauta, Barsari, Bansdeeh, Ballia under the section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and subsequently the compliance of the said closures order dated 25.04.2024 for the same were done on 26.04.2024 by the Joint Committee comprising officials of District Administration, Ballia, Mine Department, Ballia and Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh. The copy of the closure orders

dated 25.04.2024 and compliance report dated 26.04.2024 are being collectively attached herewith as **Annexure No-4** to this report.

6. That further the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 27.04.2024 has also requested to the Superintendent of Police, Ballia to instruct the respective police station for regular surveillance of the brick kilns M/s US Enterprises, Barsari, Bansdeeh, Ballia and M/s Kashinath Yadav Ent Bhatta, Bakhauta, Barsari, Bansdeeh, Ballia to ensure closure. The copy of the letter dated 27.04.2024 is being attached herewith as **Annexure No.-5** to this report.

The above report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before the Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration please.

AK Suman

(**Ajeet Kumar Suman**)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Azamgarh

(6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, जनपद–बलिया के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में संचालित ईंट भट्ठों का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण आख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, जनपद–बलिया के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में संचालित ईंट भट्ठों का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को अधोहस्ताक्षरियों द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के समय ईंट भट्ठों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी–

(क) **मेसर्स एस0के0 ईंट उद्योग बड़सरी, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2013 से राज्य बोर्ड द्वारा पत्र सं0–126/एन0ओ0सी0 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थापित व संचालित है।
2. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–157361/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 02.06.2022 द्वारा जल/वायु सहमति वैधता अवधि 02.06.2022 से 31.07.2025 तक निर्गत है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

(ख) **मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्ठा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2001 से राज्य बोर्ड द्वारा पत्र सं0–2085/एन0ओ0सी0 दिनांक 21.03.2001 के माध्यम से मेसर्स अमर ब्रिक फील्ड के नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थापित था तथा नाम परिवर्तन कर मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्ठा रखकर संचालित है।
2. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–145630/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)CTO/both/BALLIA/2021 दिनांक 30.12.2021 द्वारा जल/वायु सहमति वैधता अवधि 31.12.2021 से 31.07.2025 तक निर्गत है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

(ग) **मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग, अजीयापुर, मैरीटाड़, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2010 से राज्य बोर्ड के पत्र सं0–108 व 109/सह0–233 दिनांक 03.05.2010 के माध्यम से प्रथम बार जल/वायु सहमति प्राप्त है तथा ईट भट्ठे को वर्ष 31.12.2020 तक जल/वायु सहमति है।
2. प्रश्नगत ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 में जल/वायु सहमति निर्गत किया गया था तथा वर्तमाम में राज्य बोर्ड के पत्र सं0–196230/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2023 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से दिनांक 31.07.2028 तक जल/वायु सहमति निर्गत किया गया है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

(घ) **मेसर्स सर्वजीत ईंट उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2001 से स्थापित व संचालित है।
2. ईट भट्ठे को प्रथम बार राज्य बोर्ड के पत्र सं071298–सहमति वायु/ई0बी0 655/200 दिनांक 03.02.2006 के माध्यम से दिनांक 31.12.2010 तक वायु सहमति, वर्ष 2010 में दिनांक 31.12.2014 तक जल/वायु सहमति,एवं वर्ष 2016 में दिनांक 31.12.2020 तक जल/वायु सहमति निर्गत की गयी थी।
3. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–120061/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 30.12.2021 द्वारा जल सहमति एवं संदर्भ सं0–120061/UPPCB/ Azamgarh(UPPCBRO)CTO/air/BALLIA/ 2021 दिनांक 30.12.2021 द्वारा वायु सहमति वैधता अवधि 31.12.2021 से 31.07.2025 तक निर्गत है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

6/3/2024

(7)

(च) **मेसर्स विशाल ईट उद्योग, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2009 से स्थापित व संचालित है।
2. ईट भट्ठे को प्रथम बार जल/वायु सहमति राज्य बोर्ड के पत्राक–581/सहमति–366 दिनांक 06.09.2016 द्वारा वैधता अवधि 06.09.2016 से 31.12.2020 तक निर्गत की गयी है।
3. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–168659/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 15.11.2022 द्वारा जल/वायु सहमति वैधता अवधि 15.11.2022 से 31.07.2026 तक निर्गत है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

(छ) **मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठे को कार्यालय अभिलेखानुसार राज्य बोर्ड के पत्रांक–432/सहमति–389 दिनांक 29.07.2016 द्वारा प्रथम बार जल/वायु सहमति वैधता दिनांक 29.07.2016 से 31.12.2020 तक निर्गत किया गया था।
2. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति निर्गत नहीं है।
3. प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही की जा रही है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

(ज) **मेसर्स घनश्याम सिंह ईंट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2014 से राज्य बोर्ड के पत्रांक–616/एन.ओ.सी.–3/10 दिनांक 30.10.2014 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थापित व संचालित है।
2. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति निर्गत नहीं है तथा राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच. 63450/री–6/सा0–632/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से बंदी आदेश जारी है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।
4. ईट भट्ठे के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।

(झ) **मेसर्स काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, बलिया**

1. प्रश्नगत ईट भट्ठा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2021 से स्थापित कर संचालित है।
2. प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्तमान में राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति निर्गत नहीं है।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।
4. प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

6/03/2024
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

(8)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63450 /सी–6/सा0–632/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 **Date 15.07.2021**

पंजीकृत

M/s Ghanshyam Singh Int Bhatta Shahudih Bansdih, Ballia
जनपद–बलिया

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

R. Tyagi

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

9

मेसर्स घनश्याम सिंह ईंट भट्ठा, साहूडीह, बांसडीह, बलिया को निर्गत बन्दी आदेश की अनुपाल आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं0–एच 63450/सी–6/सा0–632/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/बनिष्स/2021 दिनांक 15.07.2021 के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बलिया के पत्रांक 149/खनिज–24 दिनांक 30.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 01/04/2024 को मेसर्स घनश्याम सिंह ईंट भट्ठा, साहूडीह, बांसडीह, बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द करा दिया गया। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन न करें।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1- श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार बांसडीह बलिया	[signature] 01.4.24
2- श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	[signature] 01/04/2024
3- श्री एस0पी0 सदरीवी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	[signature] 1/4/2024
4- श्री सुनील कुमार यादव	कर निरीक्षक जिला पंचायत बलिया	[signature] 1-4-24

उक्त पुष्टि प्राप्त किया

योगेश कुमार सिंह

भट्ठा मालिक

1-4-24

(10)

कार्यालय आदेश

कृपया मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक–एच063450/सी0–6/सा0–632/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मेसर्स घनश्याम सिंह ईट–भट्ठा शाहूडीह बॉसडीह तहसील बॉसडीह जनपद बलिया द्वारा बिना राज्य प्रदूषण बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये है। उक्त ईट भट्ठा कृत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 का उल्लंघन है। मेसर्स घनश्याम सिंह ईट–भट्ठा शाहूडीह बॉसडीह तहसील बॉसडीह जनपद बलिया के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 यथा संशोधित की धारा 31 ए अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:–

1– उपजिलाधिकारी बॉसडीह
2– पुलिस क्षेत्राधिकारी बॉसडीह।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आजमगढ।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बलिया।
5– खान निरीक्षक/खान अधिकारी बलिया।

उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अपनी अनुपालन आख्या तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(देवेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/
प्रभारी अधिकारी खनिज
बलिया।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), बलिया।

पत्रांक 149 /खनिज–24 दिनांक 30/3/24

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–6 उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3–उपरोक्त नामित सदस्यों को अनुपालनार्थ।

(देवेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/
प्रभारी अधिकारी खनिज
बलिया।

लेटर

(11)

Sonu
30-4-24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4945/सी–6/ईट भट्ठा–376/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 Dated 25-4-24

पंजीकृत

मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज,
बड़सरी, बांसडीह,
जनपद–बलिया।

यह कि मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया, का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01.04.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार आपके ईंट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति (वायु) प्राप्त नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

ईंट भट्ठे को बोर्ड के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके संदर्भ में ईंट भट्ठा द्वारा कोई उत्तर प्रेषित नही किया गया है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया, के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईंट भट्ठे मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया, की खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
4. जिला खान अधिकारी, बलिया।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

25/4/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

File

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

(12)

मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, बलिया को निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 25.04.2024 की अनुपाल आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं0–एच 09945/सी–6/ईंट भट्ठा/376/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 दिनांक 25.04.2024 के क्रम में आज दिनांक 26/4/2024 को मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द करा दिया गया। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन न करें।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1. श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	[signature] 26/04/2024
2. आ०एच०सिद्दीकी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	[signature] 26/4/2024
3. श्री नन्हे नाथ पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक बासडीह तहसील बलिया	[signature] 26-4-24
4. नवीन कुमार	प्रयो० सहा० उ०प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आजमगढ़	[signature] 26/04/2024
5. श्री सुनील कुमार यादव	कर निरीक्षक जिला पंचायत बलिया	[signature] 26-4-024

एक पर्ची प्राप्त किया बन्दी आदेश के साथ। बन्दी का पालन किया जायेगा।

उमाशंकर सिंह
S/o Amit Kumar Singh
26-04-24

(13)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या..................../सी–6/ईंट भट्ठा–375/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 Dated--------

पंजीकृत

मेसर्स काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा, (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा)
बांसडीह,
जनपद–बलिया।

यह कि मेसर्स काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा, (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बांसडीह, जनपद–बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा, (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बांसडीह, जनपद–बलिया, का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01.04.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार आपके ईंट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति (वायु) प्राप्त नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

ईंट भट्ठे को बोर्ड के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके संदर्भ में ईंट भट्ठा द्वारा कोई उत्तर प्रेषित नही किया गया है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा, (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मेसर्स काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा, (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बांसडीह, जनपद–बलिया, के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईंट भट्ठे मेसर्स काशी नाथ यादव ईंट भट्ठा, (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बांसडीह, जनपद–बलिया, की खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
4. जिला खान अधिकारी, बलिया।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

14

मेसर्स काशी नाथ ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एन0 ईंट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, बलिया को निर्गत बन्दी आदेश 25.04.2024 की अनुपाल आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं0–एच 09946/सी–6/ईंट भट्ठा/375/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 दिनांक 25.04.2024 के क्रम में आज दिनांक 26/4/2024 को मेसर्स काशी नाथ ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एन0 ईंट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द करा दिया गया। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन न करें।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1- श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	[signature] 26/04/2024
2- ओ०एच० सिद्दीकी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	[signature] 26/4/2024
3- श्री नन्दे नाथ पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक तहसील बांसडीह बलिया	[signature] 26.4.24
4- श्री सुनील कुमार यादव	कर निरीक्षक जिला पंचायत बलिया	[signature] 26-4-024
5. नवीन कुमार	प्रयो० सहा० उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	[signature] 26/4/2024

एक प्रति प्राप्त किया बन्दी आदेश के साथ
बन्दी आदेश का पालन किया जायेगा.

काशी नाथ [signature]
26/04/24

(15)

तार पर्यावरण
Gram : Paryavaran

क्षेत्रीय कार्यालय

" प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाइए"
फोन – (05462)–247517
फैक्स – (05462)–247517

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आजमगढ़

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD-AZAMGARH
(Azamgarh,Ballia, Mau)

संदर्भ सं0 92/सह0-464/सह0-389/2024-25
Ref. No.

दिनांक :
Date : 27/4/2024

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक
जनपद–बलिया।

विषय– **मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में मेसर्स काशी नाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, बलिया तथा मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, बलिया को निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में मेसर्स काशी नाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 09946/सी–6/ईंट भट्ठा/375/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 दिनांक 25.04.2024 एवं मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 09945/सी–6/ईंट भट्ठा/376/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 26.04.2024 को दोनों ईंट भट्ठों के संचालन को प्रशासन के सहयोग से बंद करा दिया गया।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में भविष्य में उक्त ईंट भट्ठे अवैध रुप से संचालित न हो इस हेतु सम्बन्धित को सतत निगरानी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2024.04.27 10:58:04 +05'30'

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2024.04.27 10:58:24 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C